अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जियाउल हक
v/s
मुस्तकिम अंसारी

देश पत्रक ता0– **19.12.2024** से तक

जिला– बोकारो केश सं0– 32/2024–25

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
19/12/2024	आवेदक– जियाउल हक, पिता स्व0 गुलजार अहमद, ग्राम– जहरलौंग, पो0– कण्डेर, थाना– महुआटाँड़, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि गोमिया अंचल अंतर्गत मौजा– जहरलौंग के खाता सं0– 02, प्लॉट सं0– 67, रकवा– 19.5 डी0 भूमि पर अबुआ आवास बनाने पर मुस्तकिम अंसारी, पिता– स्व0 कमरूद्दीन मियाँ, ग्राम– जहरलौंग, पो0– कण्डेर, थाना– महुआटाँड़, जिला– बोकारो के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अतः उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर विरोध करने वाले पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक– 03/01/2025 को रखें। (हस्ताक्षर) 19/12/24 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1071 Notice 21/12/2024
03/01/2025	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से अर्जी दी गई है। विपक्षी भी उपस्थित हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा विक्रय पत्र दिया गया है जिसमें क्रेता कासी मियाँ बीबी लतिफुन निसा एवं कमरुद्दीन अंसारी हैं। प्रश्नगत भूमि पर दावा करने के संबंध में वर्ष 2011 में ही एकरारनामा	

22/01/25

प्रस्तुत किया गया. जो प्रथम पक्ष का कासिम मियां के पुत्र श्री गुलजार के साथ 06 डी० भूमि के संबंध किया गया था। उस वाद में आपसी बँटवारा नहीं होने के कारण भूमि विवादित प्रतीत होता है एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की गवाही अति आवश्यक है। राजस्व उप निरीक्षक गवाह को अपने माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। वाद की अगली सुनवाई दिनांक- 22/01/25 को निर्धारित की जाती है

(हस्ताक्षर) 3/1/25
अंचल अधिकारी

प्रथम पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। द्वितीय पक्ष उपस्थित है। एकरारनामा में अंकित गवाह कुदुस मियां उपस्थित है। उनसे पूछ-ताछ किये जाने पर प्रश्नगत भूमि के विवाद से संबंधित कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी के कहने पर एकरारनामा में हस्ताक्षर कर दिया गया। अभिलेख आदेश हेतु दिनांक- 14/02/2025 को रखें।

(हस्ताक्षर) 22/1/25
अंचल अधिकारी

तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
14.02.25 15.02.25	अभिलेख उपस्थापित। सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने के कारण आदेश पारित नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक - 22.02.2025 को रखें। 15.02.25 अंचल अधिकारी	
22.02.25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक के द्वारा कहा गया कि मौजा - जहरलौंग, के खाता सं० - 02, प्लॉट सं० - 67 रकवा - 19.5 डी० भूमि पर विपक्षी मुस्तकिम अंसारी पिता - स्व० कमरुद्दीन मियाँ के द्वारा उन्हें अबुआ आवास बनाने से रोका जा रहा है। जबकि प्रश्नगत भूमि उनकी है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कहा गया कि मौजा जहरलौंग, थाना सं० - 51 के खाता सं० 2, प्लॉट सं० - 67, रकवा - 6 डी० भूमि उन्होंने स्व० गुलाम पिता - स्व० मो० कासीम से मो० 18000/- (अठारह हजार) रूपये में दिनांक - 10/03/2011 को विक्रीनामा द्वारा प्राप्त किया है। जिस पर मकान बना कर रह रहे हैं। उक्त भूमि पर उनका 22 (बाईस) वर्षों से दखल-कब्जा है। उनके द्वारा कहा गया कि आवेदक जियाउल हक एवं अन्य के द्वारा जबरन उनके आँगन में निर्माण कार्य करने हेतु बुनियाद कोड़ दिया गया है, जो उनकी खरीदगी भूमि है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	दोनो पक्षों की दलील, अभिलेख संधारित अन्य कागजात एवं दाखिल इकरारनामा में अंकित गवाह के बयान के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मौजा जहरलौंग के खाता सं०-02, प्लॉट सं०-67, रकबा-19.5 डी० भूमि का आपसी बँटवारा नहीं होने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। पक्षकार आपसी समझौता के तहत इस मामले को निपटाने का प्रयास करें या वे अपने हक एवं अधिकार के लिए सक्षम न्यायालय में पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित ह०/- अंचल अधिकारी गोमिया। ह०/- अंचल अधिकारी गोमिया।

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.05.10 15:37:47 +05:30
Location: 192.168.33.139